प्रेस विज्ञप्ति

03.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी अरविंदरजीत कौर से संबंधित पंजाब और हरियाणा के फरीदाबाद, लुधियाना जिलों में स्थित 47 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की 4 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी अरविंदरजीत कौर के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), वित्त के पद पर कार्यरत हरजीत सिंह पुरी ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का अपराध किया, जिससे पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(बी) के तहत अपराध करके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की और अपराध के आगम अर्जित किए। आय से अधिक संपत्ति का कुल मूल्य हरजीत सिंह पुरी और अरविंदरजीत कौर की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 1.04 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है।

ईडी की जांच के दौरान, उपरोक्त व्यक्तियों के नाम पर लगभग 47 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की 4 अचल संपत्तियां पाई गईं, जिन्हें अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।